

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग /अग्रिम यो०
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 18.10.2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत प्राप्त अधियाचनाओ के आधार 23 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल राशि रु 731.02 लाख (रुपए सात करोड़ एकतीस लाख दो हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निर्देशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	731.020

कुल आवंटित राशि - रुपए सात करोड़ एकतीस लाख दो हजार मात्र ।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक आगणन में आगणित राशि के उपरान्त संशोधित बजट उपबंध रु 10671.44 लाख (एक सौ छः करोड़ एकहत्तर लाख चवालीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98,1800(वि०) दि० 15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतन, 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-15/2013-14/170/बजट दिनांक-01.04.2014 एवं पत्रांक-26/बी०एस०जी०-01/2014/488/बजट दिनांक-18.12.2014 के आलोक में किया जायेगा।
9. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरान्त ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन हार्ड कापी में Access No एवं Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
12. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 142

राँची, दिनांक :- 18.10.2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिन्ना राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/देवघर/चक्रधरपुर/गुमला/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जामताड़ा/साहेबगंज/मधुपुर/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 142

राँची, दिनांक :- 18.10.2022

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/अधीक्षक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल-2, राँची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मॉन संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक 142 दिनांक 18.10.2022 का अनुलनक

पशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2022-2023	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	संश्लि लाख रुपये में	
				देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दफ्तर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवा	दूरभाष	वटी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रभार			कुल योग	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मुख्य अधिकारी, अभिन योचना, संचाली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	45,890 4,000	0.000 0.000	0.500 0.000	0.000 0.300	0.900 0.000	0.000 0.000	0.400 0.000	2,790 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1,000 0.300	0.500 0.000	51,730	*
2	जलपथ अवल, संचाली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	49,890 160,000	0.000 0.000	0.500 0.000	0.300 0.000	0.900 0.000	0.000 0.000	0.400 0.000	2,790 0.000	0.200 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	1,300 0.400	0.050 0.000	56,330	
3	जलपथ अवल, संचाली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	45,000 205,000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.300 0.300	0.300 0.600	0.000 0.000	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.500	0.250 0.650	0.300 0.300	46,950	
4	जलपथ अवल, संचाली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	125,000 40,000	0.000 0.000	0.000 0.200	0.000 0.600	0.300 0.600	0.000 0.000	0.000 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.400 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	125,800	
5	रूपांकण आयोजन एवं मोनिटोरिंग अवल, संचाली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	165,000 140,000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.600 0.000	0.600 0.300	0.000 0.000	0.100 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.700 0.400	0.000 0.000	167,400	
6	रूपांकण आयोजन एवं मोनिटोरिंग अवल, संचाली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	70,000 210,000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.500	0.000 0.000	0.000 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.400	0.000 0.000	0.000 0.000	211,000	
7	रूपांकण अवल, संचाली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	92,000 102,000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.600	0.000 0.000	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.800 1,000	0.000 0.000	93,200	
8	सिंचाई अवल, जमींदार	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	180,000 0.000	0.000 0.000	0.100 0.000	0.400 0.000	0.650 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.500	0.800 0.200	0.000 0.000	182,550	
9	सिंचाई अवल, सहायक	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	73,000 10,000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.000	0.650 0.300	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.500	0.800 0.200	0.000 0.000	75,850	
10	सिंचाई अवल, सहायक	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	83,000 120,000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.000	0.950 0.250	0.000 0.000	0.300 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.000	1,000 0.000	0.000 0.000	86,450	
11	अग्रिम योजना प्रो. संचाली	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	29,500 149,500	0.000 0.000	0.200 0.200	0.000 0.000	0.300 0.550	0.000 0.000	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	30,100	
12		कुल आवंटन	149,500	0.000	0.200	0.000	0.550	0.000	0.100	1,265	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	151,665	

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2022-2023			वित्त्वत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			वित्त्वत शीर्ष-02-यात्रा व्यय			वित्त्वत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्त्वत शीर्ष-04-मोटरगाडियां		वित्त्वत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं	कार्यालय का नाम	विषयन कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का दरकाया	एलपीडीवी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया/दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवा	दूरभाष	दफ्ती	विद्युत व्यय	मोटरगाडियां इंधन एवं भरण	विविध प्रभार	कुल योग	अतिरिक्त							
9	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची		215.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	215.550								
			70.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	0.300	0.250	71.150								
			285.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.200	0.300	0.250	286.700								
10	जलपथ प्रमंडल, खुँटी		280.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	1.986	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	282.586								
			50.000	0.000	0.000	0.600	0.300	0.300	0.150	1.986	0.050	0.000	0.600	0.300	0.200	52.450								
			330.000	0.000	0.000	0.600	0.550	0.300	0.150	1.986	0.050	0.000	0.600	0.600	0.200	335.036								
11	जलपथ प्रमंडल सॉ-1, चकधपुर		172.000	0.000	0.000	0.700	0.250	0.500	0.150	1.970	0.050	0.000	0.000	0.400	0.200	176.220								
			55.000	0.000	0.000	0.300	0.300	0.000	0.150	1.970	0.100	0.000	0.000	0.200	0.130	56.030								
			227.000	0.000	0.000	1.000	0.550	0.500	0.000	1.970	0.150	0.000	0.000	0.600	0.330	232.250								
12	जलपथ प्रमंडल सॉ-2, हजारीबाग		162.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	162.300								
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.100	0.000	0.050	0.000	0.100	0.000	0.500	163.350								
			162.000	0.000	0.000	0.000	0.550	0.000	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.300	0.000	238.550								
13	जलपथ प्रमंडल सॉ-1, सिमडेगा		238.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.400	81.950								
			80.000	0.000	0.000	0.800	0.300	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.400	320.500								
			318.000	0.000	0.000	0.800	0.550	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	108.600								
14	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिवाई परियोजना, राँची		108.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.600								
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.550	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000	109.200								
15	पुनर्वास वॉच प्रमंडल, पुनर्वास शिबिर-देवघर		194.000	0.000	0.200	0.400	0.550	0.000	0.150	0.000	0.100	0.000	0.500	0.600	0.100	196.600								
			10.000	0.000	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.500	0.250	0.000	12.450								
			204.000	0.000	0.200	0.800	0.850	0.000	0.150	0.000	0.100	0.000	2.000	0.850	0.100	209.050								
16	रूपाका प्रमंडल सॉ-2, राँची		397.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	397.300								
			90.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	487.750								
			487.000	0.000	0.000	0.000	0.550	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	163.600								
17	विशेष ग-अर्जन पद, चाईबासा		163.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	23.550								
			23.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	187.150								
			186.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000									

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(राजेश्वर प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2022-2023	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय												विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में
			विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण	विवरण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	मोड़वा, सिधौ-महगामा	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय
19	सिवाइ प्रमंडल, जसीडीह	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय
20	सिवाइ प्रमंडल, बड़हरवा	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय
21	सिवाइ प्रमंडल, सिकरिया	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय
22	सिवाइ प्रमंडल, सं-2, जामताड़ा	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय
23	सिवाइ प्रमंडल सं.-2, सिकरिया	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय
	अतिरिक्त आवंटन का योग																

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपय सात करोड़ एकवीस लाख दो हजार मात्र।

(श्वेता कुमार)
सहायक अभियंता(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव